-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा चोरी/टप्पेबाजी जैसी आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्जनपदीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सफेद धातु के टंच व लगभग 42 हजार रुपए नकद सहित अवैध तमंचा, कारतूस बरामद।**
- **अभियुक्त द्वारा जनपद बांदा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई स्थानों पर चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 14.04.2026 को थाना अतर्रा द्वारा चोरी/टप्पेबाजी जैसी आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में चोरी/टप्पेबाजी की कई घटनाएं संज्ञान में आई थी जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों, वैज्ञानिक एवं तकनीकि माध्यमों एंव यक्ष एप के माध्यम से अभियुक्त की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को कस्बा अतर्रा के जरुहा चौकी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, सफेद धातु के टंच व 41 हजार 700 रुपए नकद बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ एवं जांच के क्रम में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य थाना क्षेत्रों में भी चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा अभियुक्त पर जनपद चित्रकूट में भी चोरी/टप्पेबाजी, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी आदि जैसे मामलों में कुल 10 मुकदमें तथा जनपद बांदा में कुल 06 मामलें दर्ज है।

बरामदगी-

- 03 टंच 154 ग्राम (सफेद धातु चोरी के)
- 41700 रुपए (चोरी के)
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शम्भू पुत्र रामचन्द्र निवासी चिल्ला माफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट। हाल पता- चमरा मंडी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 149/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 143/26 धारा 303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 82/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 42/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

5. मु0अ0सं0 177/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसंडा जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 67/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शम्भू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 76/23 धारा 379/411/420 भादवि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
2. मु0अ0सं0 78/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
3. मु0अ0सं0 175/21 धारा 379 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
4. मु0अ0सं0 238/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
5. मु0अ0सं0 251/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
6. मु0अ0सं0 252/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट।
7. मु0अ0सं0 71/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
8. मु0अ0सं0 198/25 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।
9. मु0अ0सं0 291/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।
10. मु0अ0सं0 767/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संजीव कुमार चौबे थानाध्यक्ष अतर्रा
2. श्री गौरव प्रताप सिंह चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
4. कां0 राहुल साहू
5. कां0 पंकज द्विवेदी